2019 का विधेयक संख्यांक 156

1594
9/7/19

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

सरोगेसी क्लीनिकों का विनियमन

3. सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिषेध और विनियमन ।

अध्याय 3

सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन

4. सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन ।
5. सरोगेसी संचालन का प्रतिषेध ।
6. सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ।
7. सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने का प्रतिषेध ।
8. रोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ।
9. गर्भपात का प्रतिषेध ।

अध्याय 4

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण

10. सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण ।
11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।
12. रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित किया जाना ।
13. अपील ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड

14. राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
15. सदस्यों की पदावधि ।
16. बोर्ड की बैठकें ।
17. रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

1382/4
1-51

खंड

18. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।

19. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।

20. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

21. सदस्य की पुन:नियुक्ति के लिए पात्रता ।

22. बोर्ड के कृत्य ।

23. राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

24. राज्य बोर्ड की संरचना ।

25. सदस्यों की पदावधि ।

26. राज्य बोर्ड के अधिवेशन ।

27. रिक्तियों, आदि का राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

28. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्रहता ।

29. राज्य बोर्ड के साथ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।

30. राज्य बोर्ड के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।

31. सदस्यों की पुन:नियुक्ति के लिए पात्रता ।

अध्याय 6

समुचित प्राधिकारी

32. समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति ।

33. समुचित प्राधिकारी के कृत्य ।

34. समुचित प्राधिकारी की शक्तियां ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

35. वाणिज्यिक सरोगेसी, सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालकों के शोषण का प्रतिषेध ।

36. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।

37. वाणिज्यिक सेरोगेसी आरंभ करने के लिए दंड ।

38. अधिनियम और नियम के उपबंधों जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

39. सेरोगेसी की दशा में उपधारणा ।

40. अपराधों का संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होना ।

41. अपराधों का संज्ञान ।

खंड

42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

43. अभिलेखों का अनुरक्षण ।

44. अभिलेखों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।

45. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

46. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

47. नियम बनाने की शक्ति ।

48. विनियम बनाने की शक्ति ।

49. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

50. संक्रमणकालीन उपबंध ।

51. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

2019 का विधेयक संख्यांक 156

[दि सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परित्यक्त बालक" से सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मा ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका उसके आशयित माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अभित्यक्त और सम्यक् जांच के पश्चात् समुचित सरकार द्वारा परित्यक्त घोषित कर दिया गया है ;

(ख) "स्वार्थहीन सरोगेसी" से ऐसी सरोगेसी अभिप्रेत है, जिसमें सरोगेट माता को या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर के सिवाय, किसी भी प्रकृति के किन्हीं प्रभारों, व्ययों, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है ;

(ग) "समुचित प्राधिकारी" से धारा 32 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 14 के अधीन गठित राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "नैदानिक स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो उसका नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में है; 2010 का 23

(च) "वाणिज्यिक सरोगेसी" से सरोगेसी सेवाओं या प्रक्रियाओं या उसके घटक सेवाओं या घटक प्रक्रियाओं का वाणिज्यीकरण अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत मानवीय भ्रूण का विक्रय या क्रय अथवा मानवीय भ्रूण या युग्मकों के विक्रय या क्रय में व्यापार या किसी सरोगेट माता या उसके आश्रितों या उसके प्रतिनिधियों को, सरोगेट माता पर उपगत चिकित्सीय व्ययों और सरोगेट माता के लिए बीमा कवर को छोड़कर, नकद या वस्तु रूप में कोई संदाय, पुरस्कार, फायदा, फीस, पारिश्रमिक या धनीय प्रोत्साहन देकर सरोगेट मातृत्व की सेवाओं का विक्रय या क्रय अथवा उनका व्यापार करना भी है;

(छ) "दम्पति" से विधिक रूप से विवाहित भारतीय पुरुष और स्त्री अभिप्रेत हैं, जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक है;

(ज) "डिम्ब" में स्त्री युग्मक सम्मिलित है;

(झ) "भ्रूण" से निषेचन के पश्चात् छप्पन दिनों की समाप्ति तक विकसित हो रहा या विकसित जीव अभिप्रेत है ;

(ञ) "भ्रूण विज्ञानी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है; 1956 का 102

(ट) "निषेचन" से शुक्राणु द्वारा अण्डाणु का वेधन और आनुवंशिक सामग्रियों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का विकास होता है ;

(ठ) "गर्भ" से निषेचन या सृजन (किसी ऐसे समय को अपवर्जित करते हुए, जिसमें उसके विकास को निलंबित किया गया है) के पश्चात् सतावनवें दिन से प्रारंभ

होने वाली और शिशु के जन्म पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विकसित होने वाला मानवीय जीव अभिप्रेत है;

(ड) "युग्मक" से शुक्राणु और डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(ढ) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" का वही अर्थ होगा, जो उसका गर्भधारण पूर्व और
1994 का 57 प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में है;

(ण) "आरोपण" से ज़ोना-फ्री ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना और पश्चातवर्ती वेधन अभिप्रेत है, जो निषेचन के पश्चात् पांच से सात दिनों में आरंभ होता है;

(त) "अनुर्वरता" से असंरक्षित मैथुन के पांच वर्षों के पश्चात् भी गर्भधारण करने में असमर्थता या ऐसी कोई अन्य साबित चिकित्सीय परिस्थिति अभिप्रेत है, जो किसी दम्पति को गर्भधारण करने से निवारित करती है;

(थ) "बीमा" से ऐसा कोई ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यष्टि या आशय रखने वाला दम्पति, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सेरोगेट माता को होने वाली किसी विनिर्दिष्ट हानि, नुकसान, बीमारी या मृत्यु के लिए प्रतिपूर्ति करने की गारंटी प्रदान करने का वचनबंध करता है;

(द) "आशय रखने वाला दम्पति" से ऐसा दंपति अभिप्रेत है, जिसे चिकित्सीय रूप से अनुर्वरक दंपति प्रमाणित किया गया है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है;

(ध) "सदस्य" से, यथास्थिति, राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(न) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(प) "डिम्बाणुजनकोशिका" से किसी स्त्री के जननिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से अण्डोत्सर्गी डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है;

(फ) "बाल रोग विशेषज्ञ" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय
1956 का 102 आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन यथा मान्यताप्राप्त बाल रोग में कोई स्नातकोत्तर अर्हता रखता है;

(ब) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(भ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है,
1956 का 102 जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता है और जिसके नाम को राज्य चिकित्सीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है;

(म) "विनियम" से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(य) "लिंग चयन" का वही अर्थ है, जो उसका गर्भधारण पूर्व और निदान-
1994 का 57 तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ण) में उसको समनुदेशित किया गया है ;

(यक) "राज्य बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित राज्य सरोगेसी बोर्ड अभिप्रेत है;

(यख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(यग) "सरोगेसी" से कोई ऐसा व्यवहार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाले दम्पति के बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात् ऐसे बालक को आशय रखने वाले दम्पति को सौंप देगी;

(यघ) "सरोगेसी क्लीनिक" से ऐसा सरोगेसी क्लीनिक केन्द्र या प्रयोगशाला, जहां सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी सेवाओं, इनविट्रो निषेचन सेवाओं का संचालन किया जाता है, जननिक संबंधी परामर्श केन्द्र, सरोगेसी प्रक्रिया का संचालन करने वाली जननिक प्रयोगशाला, सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी बैंक या कोई नैदानिक स्थापन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जहां किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है;

(यङ) "सरोगेसी प्रक्रियाओं" से ऐसी सभी स्त्री रोग संबंधी प्रासविक या चिकित्सीय प्रक्रियाएं, तकनीकें, परीक्षण, व्यवहार या सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें सरोगेसी में मानवीय युग्मकों और मानवीय भ्रूण के संबंध में कार्यवाही करना अंतर्वलित है;

(यच) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो सरोगेसी के माध्यम से उसके गर्भ में भ्रूण का आरोपण करके ऐसा बालक धारण कर रही है जो आनुवांशिक रूप से किसी आशय रखने वाले दम्पति से सम्बधित है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करती है;

(यछ) "युग्मनज" से प्रथम कोशिका विभाजन से पूर्व निषेचित डिम्बाणुजनकोशिका अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

सरोगेसी क्लीनिकों का विनियमन

सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिषेध और विनियमन ।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(i) कोई सरोगेसी क्लीनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या उनसे सहयुक्त नहीं होगा या किसी भी रीति में उनसे संबंधित क्रियाकलापों के संचालन में सहायता नहीं करेगा;

(ii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का संचालन, उसकी प्रस्थापना नहीं करेगा, हाथ में नहीं लेगा, उसका संवर्धन नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा या उसका फायदा नहीं

उठाएगा;

(iii) कोई सरोगेसी क्लीनिक ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वह अवैतनिक आधार पर हो या संदाय पर, जिसके पास विहित की जाने वाली अर्हताएं नहीं हैं;

(iv) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या उनके संचालन में सहायता नहीं करेगा;

(v) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन का संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार नहीं करेगा या उसका संवर्धन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार या विज्ञापन नहीं करवाएगा,--

(क) जिसका उद्देश्य किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना हो या जिससे किसी स्त्री के इस प्रकार अभिप्रेरित होने की संभावना हो;

(ख) जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक का संवर्धन करना या साधारण रूप से वाणिज्यिक सरोगेसी का संवर्धन करना हो;

(ग) जो किसी स्त्री को सरोगेट माता के रूप में कार्य करने के लिए ईप्सित हो या ईप्सित करने का उद्देश्य रखता हो;

(घ) जो यह कथन करता हो या जिसमें यह अंतर्निहित हो कि कोई स्त्री सरोगेट माता बनने के लिए इच्छुक है; या

(ङ) जो मुद्रण या इलैक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक सरोगेसी का विज्ञापन करता हो;

(vi) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, आशय रखने वाला दम्पति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान, सरोगेट माता की लिखित सहमति के बिना और संबद्ध समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस संबंध में प्राधिकार के बिना गर्भपात नहीं करेगा या करवाएगा :

परंतु समुचित प्राधिकारी का प्राधिकरण गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन रहते हुए और उसके उपबंधों की अनुपालना में होगा ;

1971 का 34

(vii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण वैज्ञानिक, आशय रखने वाला दम्पति या कोई अन्य व्यक्ति, सरोगेसी के प्रयोजन के लिए किसी मानव भ्रूण या युग्मक का भंडारण नहीं करेगा :

परंतु यह कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे भंडारण को अन्य विधिक प्रयोजनों जैसे शुक्राणु बैंक, आईवीएफ और चिकित्सीय अनुसंधान को ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रभावित नहीं करेगी ;

(viii) कोई सरोगेसी क्लीनिक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विज्ञानी, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूण विज्ञानी, आशयित दंपत्ती या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी के लिए किसी प्ररूप या रूप में लिंग चयन संचालित नहीं करेगा ।" ।

अध्याय 3

सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन

सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं का विनियमन ।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(i) किसी व्यक्ति द्वारा सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए, खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय किसी स्थान का, जिसके अंतर्गत कोई सरोगेसी क्लीनिक भी है, उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं कराया जाएगा और ऐसा उपयोग खंड (iii) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा;

(ii) निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय किसी सरोगेसी या किन्हीं सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, उन्हें हाथ में नहीं लिया जाएगा, निष्पादन नहीं किया जाएगा या उनका फायदा नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जब दम्पति में से कोई एक या दोनों सदस्य साबित अनुर्वरता से पीड़ित हैं ;

(ख) जब वह केवल स्वार्थहीन सरोगेसी के प्रयोजनों के लिए है;

(ग) जब वह किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों या सरोगेसी अथवा सरोगेसी प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं है;

(घ) जब वह विक्रय, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य रूप में शोषण के लिए बालकों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है; और

(ङ) ऐसी कोई अन्य स्थिति या रोग, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(iii) कोई सरोगेसी या कोई सरोगेसी प्रक्रियाएं तब तक संचालित नहीं की जाएंगी, हाथ में नहीं ली जाएंगी, निष्पादित या आरंभ नहीं की जाएंगी, जब तक कि सरोगेसी क्लीनिक के निदेशक या प्रभारी और ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, अर्थात् :—

(क) आशय रखने वाले दम्पति के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाने पर कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दिया गया है, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात् :—

(I) आशय रखने वाले दम्पति के किसी एक या दोनों सदस्यों के

पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से साबित अनुर्वरता का प्रमाणपत्र है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "जिला चिकित्सीय बोर्ड" पद से किसी जिले के मुख्य चिकित्सीय अधिकारी या प्रधान सिविल शल्य चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता के अधीन कोई चिकित्सीय बोर्ड अभिप्रेत है, जो कम से कम दो अन्य विशेषज्ञों, अर्थात् जिले के मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रसूति विशेषज्ञ और मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ से मिलकर बनेगा;

(II) सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बालक की जनकता और उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के या उससे ऊपर के विधि के न्यायालय द्वारा, आशय रखने वाले दम्पति और सरोगेट माता द्वारा आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है ; और

1999 का 41

(III) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बीमा कंपनी या बीमा अभिकर्ता से प्रसवोत्तर प्रसव समस्या से पहले छह मास की अवधि के लिए सरोगेट माता के पक्ष में प्रसवोत्तर प्रसव जटिलताओं को कवर करने के लिए सौलह मास की अवधि का ऐसी रकम का बीमा कवर, जो विहित की जाए;

(ख) सरोगेट माता के पास, समुचित प्राधिकारी द्वारा, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर, जारी अनिवार्यता का प्रमाणपत्र है, अर्थात् :—

(I) ऐसी स्त्री के सिवाय, जो कभी विवाहित स्त्री रही हो, जिसका स्वयं का बालक हो और आरोपण के दिवस को जिसकी आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो, कोई स्त्री सरोगेट माता नहीं बनेगी या अपने डिम्ब या डिम्बाणुजनकोशिका का संदान करके या अन्यथा सरोगेसी में सहायता नहीं करेगी;

(II) आशयित युगल से भिन्न कोई व्यक्ति सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी मां के रूप में कार्य नहीं करेगी ;

(III) कोई स्त्री अपनी युग्मक उपलब्ध करने के लिए सरोगेसी मां के रूप में कार्य नहीं करेगी ;

(IV) कोई स्त्री अपने जीवनकाल में एक बार के अधिक सरोगेट माता के रूप में कार्य नहीं करेगी :

परंतु सरोगेट माता के संबंध में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने हेतु प्रयासों की संख्या वह होगी जो विहित की जाए; और

(V) सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सीय और मनोविज्ञानी स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र;

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा आशय रखने वाले दम्पति को

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पृथक् रूप से पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है :—

(I) आशय रखने वाले दम्पति में स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को 23 से 50 वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु 26 से 55 वर्ष के बीच है;

(II) आशय रखने वाला दम्पति कम से कम पांच वर्ष से विवाहित हैं और भारतीय नागरिक है ;

(III) आशय रखने वाले दम्पति का जैविक रूप से या गोद लेने के माध्यम से या सरोगेसी के माध्यम से पूर्व में कोई उत्तरजीवी बालक नहीं था :

परंतु इस मद में अंतर्विष्ट कोई बात आशय रखने वाले दंपत्ति को प्रभावित नहीं करेगी जिनका बालक है और वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है या वह किसी संतर्जक विषमता से पीड़ित है या उसे कोई घातक रोग है जिसका कोई स्थायी उपचार नहीं है तथा जिसका समुचित प्राधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा बोर्ड से सम्यक् चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदन किया गया है; और

(IV) ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

सरोगेसी संचालन का प्रतिषेध ।

5. कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सरोगेट माता का कोई नातेदार या पति या आशय रखने वाले दम्पति का कोई नातेदार भी है, धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय उस पर कोई सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाएं करने की ईप्सा नहीं करेगा या उसे प्रोत्साहन नहीं देगा ।

सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ।

6. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन नहीं करेगा जब तक कि—

(i) उसने संबद्ध सरोगेट माता को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात दुष्प्रभावों और पश्चातवर्ती प्रभावों को स्पष्ट न कर दिया हो; और

(ii) उसने विहित प्ररूप में, ऐसी प्रक्रियाएं करने के लिए सरोगेट माता की लिखित जागरूक सहमति ऐसी भाषा में, जिसे वह समझती हो, प्राप्त न कर ली हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरोगेट माता के पास उसके गर्भास्य में भ्रूण को प्रत्यारोपित करने से पूर्व अपनी सहमति को वापस लेने का विकल्प होगा ।

सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बालक का परित्याग करने का प्रतिषेध ।

7. आशय रखने वाला दंपत्ति सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न बालक का, चाहे कोई भी कारण हों, जिसके अंतर्गत कोई आनुवांशिक दोष, जन्म से ही दोष, कोई अन्य चिकित्सा स्थिति, पश्चातवर्ती उत्पन्न होने वाले दोष, बालक का लिंग या एक से अधिक बालकों का गर्भ धारण और और सदृश शामिल है किंतु उन तक ही सीमित नहीं है, चाहे भारत में या भारत से बाहर, परित्याग नहीं करेगा :

परंतु यह कि सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न किसी बालक को आशय रखने वाले दंपत्ति

का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।

रोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या ।

8. सरोगेसी के प्रयोजन के लिए सरोगेट माता में रोपित किए जाने वाले डिम्बाणुजनकोशिकाओं या भ्रूणों की संख्या वह होगी, जो विहित की जाए ।

गर्भपात का प्रतिषेध ।

9. कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या किसी प्रकार का नैदानिक स्थापन, किसी सरोगेट माता को, ऐसी शर्तों के, जो विहित की जाएं, सिवाय सरोगेसी के किसी भी प्रक्रम पर गर्भपात करने के लिए मजबूर नहीं करेगा ।

अध्याय 4

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण

सरोगेसी क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण ।

10. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सरोगेसी कारित करने या किसी भी रूप में सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी सरोगेसी क्लीनिक की स्थापना नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा क्लीनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) ऐसा प्रत्येक सरोगेसी क्लीनिक, जो या तो आंशिक रूप में या अनन्य रूप से धारा 4 के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरोगेसी प्रक्रियाओं का संचालन कर रहा है, समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु ऐसा सरोगेसी क्लीनिक, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के अवसान पर ऐसा परामर्श देना और प्रक्रियाएं करना तब तक बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे क्लीनिक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार पृथक् रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो या जब तक कि उसके आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी सरोगेसी क्लीनिक को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा क्लीनिक ऐसी प्रसुविधाएं प्रदान करने और ऐसे उपस्कर और मानक, जिनके अंतर्गत विहित की जाने वाली जनशक्ति, भौतिक अवसंरचना और नैदानिक प्रसुविधाएं भी हैं, बनाए रखने की स्थिति में है ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

11. (1) समुचित प्राधिकारी, कोई जांच करने के पश्चात्, तथा स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे प्ररूप, ऐसी फीस के संदाय पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर सरोगेसी क्लीनिक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा ।

(2) जहां कोई जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी अपेक्षाओं का

अनुपालन नहीं किया है, वहां वह लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसे ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को सरोगेसी क्लीनिक द्वारा किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित किया जाना ।

12. (1) समुचित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत प्राप्त होने पर, किसी सरोगेसी क्लीनिक को इस बात का कारण बताने के लिए कोई सूचना जारी कर सकेगा कि सूचना में उल्लिखित कारणों से उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरोगेसी क्लीनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी किसी दांडिक कार्रवाई, जो वह ऐसे क्लीनिक के विरुद्ध कर सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की राय यह है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी किए बिना सरोगेसी क्लीनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा ।

अपील ।

13. सरोगेसी क्लीनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 12 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा,—

(क) राज्य सरकार, जहां कोई अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है;

(ख) केन्द्रीय सरकार, जहां अपील किसी संघ राज्यक्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड

राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

14. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) सरोगेसी से संबंधित मामलों में कार्य करने वाले भारत सरकार के विभाग का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) तीन महिला संसद् सदस्य, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा, सदस्य, पदेन;

(घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, अर्थात् महिला और बाल कल्याण विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और गृह मंत्रालय से तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के न हों, सदस्य, पदेन;

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, सदस्य, पदेन;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जानी वाली रीति में निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नियुक्त किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य–

(i) सुविख्यात चिकित्सीय जननिक विज्ञानी या भ्रूण विज्ञानी;

(ii) सुविख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ या स्त्री रोग अथवा प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ;

(iii) सुविख्यात समाज विज्ञानी;

(iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि; और

(v) महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल संबंधी विषयों पर कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी से प्रतिनिधि,

जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए;

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का चक्रानुक्रम से प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य बोर्डों के चार अध्यक्ष, दो वर्णानुक्रमिक क्रम और दो विलोम वर्णानुक्रमिक क्रम में, सदस्य, पदेन; और

(ज) केन्द्रीय सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सरोगेसी विभाग का प्रभारी हो, जो सदस्य सचिव, पदेन होगा ।

सदस्यों की पदावधि ।

15. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि निम्नानुसार होगी—

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष :

परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि उस समय तुरंत समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह सदस्य कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा की उपसभापति बनती है या वह उस सदन की, जहां से वह निर्वाचित हुई थी, सदस्य नहीं रह जाती है; और

(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में एक वर्ष:

परन्तु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए ।

(2) पद में, किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण होने वाली किसी रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली नई नियुक्ति से भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष बची पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

16. (1) बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिनके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं:

परंतु बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा ।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्ययों की प्राप्ति होगी ।

रिक्तियों, आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

17. बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई दोष है; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।

18. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए और सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा और यदि—

(क) उसे दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए

अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; या

(च) वह सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है और उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) वह सरोगेसी या अनुर्वरता में वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी वृत्तिक निकाय का पदधारी, प्रधान है या उसका प्रतिनिधित्व करता है ।

(2) धारा 14 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य को, केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आदेश जिसे उनके कदाचार या अक्षमता के आधार पर जारी किया हो के सिवाय, उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई हो या लंबित हो, उस समय तक निलंबित कर सकेगी, जब तक कि जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आदेश पारित न कर दिया जाए ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त होना ।

19. (1) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की उसे अधिनियम के किसी भी उपबंध को पूरा करने के लिए वांछा हो ।

(2) बोर्ड के साथ उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किए गए व्यक्ति को सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे बोर्ड के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

20. बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी सभी अन्य लिखतों को बोर्ड के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

सदस्य की पुन:नियुक्ति के लिए पात्रता ।

21. सेवा के यथा विहित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाने पर ऐसे सदस्य के रूप में पुन:नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य दो लगातार पदावधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

बोर्ड के कृत्य ।

22. बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) सरोगेसी से संबंधित नीतिगत विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ख) अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानीटर करना तथा उनमें परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) सरोगेसी क्लीनिकों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए आचार संहिता अधिकथित करना ;

(घ) सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा नियोजित किए जाने के लिए भौतिक अवसंरचना प्रयोगशाला और नैदानिकों उपस्करों तथा विशेषज्ञ जनशक्ति के लिए न्यूनतम मानक अधिकथित करना ;

(ङ) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन की निगरानी करना और उनके प्रभावी कार्यपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना ;

(च) राज्य सरोगेसी बोर्डों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन ।

23. (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सेरोगेसी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड का गठन करेगा और जो निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रहे समुचित प्राधिकारियों के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन करना और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना ;

(ii) अधिनियम और नियमों तथा तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा बोर्ड को उनसे संबंधित समुचित सिफारिशें करना ;

(iii) अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में यथा विहित की जाने वाली ऐसी समेकित रिपोर्टें बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को भेजना ; और

(iv) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं ।

राज्य बोर्ड की संरचना ।

24. राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभारी सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, विधि और न्याय तथा गृह कार्य विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त या उनके नामनिर्देशिती, सदस्य, पदेन ;

(घ) राज्य सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक, सदस्य, पदेन ;

(ङ) राज्य विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य, सदस्य, पदेन ;

(च) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित प्रत्येक में से दो नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस विशेषज्ञ सदस्य—

(i) विख्यात चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञानी या भ्रूण विज्ञानी ;

(ii) विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ ;

(iii) विख्यात समाज विज्ञानी ;

(iv) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि ; और

(v) महिला स्वास्थ्य और बालक विषयों पर कार्य कर रहीं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि,

जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो विहित किए जाएं ।

(छ) महिला कल्याण का प्रभारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी, जो पदेन सदस्य सचिव, होगा ।

सदस्यों की पदावधि ।

25. (1) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि,—

(क) धारा 24 के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशन की दशा में तीन वर्ष होगी :

परंतु ऐसे सदस्य की पदावधि, उसके मंत्री या उपमंत्री या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति या उप सभापति बनते ही या उस सदन का सदस्य न रहने पर जिससे उसका चयन किया गया था, तुरंत समाप्त हो जाएगी ; और

(ख) धारा 24 के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में एक वर्ष होगी :

परंतु इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु वह होगी जो विहित की जाए ।

(2) मृत्यु, त्यागपत्र या रोग या अन्य अक्षमता के कारण कर्तव्यों का निवर्हन करने में उसकी असमर्थता के कारण हुई पद की रिक्ति को, रिक्ति होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति की शेष अवधि के लिए जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति की गई थी, पद धारण करेगा ।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं ;

राज्य बोर्ड के अधिवेशन ।

26. (1) राज्य बोर्ड ऐसे स्थानों और समय पर अधिवेशन करेगा और उसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु राज्य बोर्ड चार मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा ;

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केवल प्रतिकरात्मक यात्रा व्यय को प्राप्त करेंगे ।

रिक्तियों, आदि का राज्य बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

27. राज्य बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) राज्य बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) राज्य बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है ।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता ।

28. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने और सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि वह,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है ; या

(च) सरोगेसी क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगम का व्यवसायरत सदस्य या पदधारी है जिसका वित्तीय या अन्य हित है जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) सरोगेसी या अनुर्वरता में कोई वाणिज्यिक हित रखने वाले किसी व्यवसायिक निकाय का पदधारी, जो उसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व करता है ।